उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर०एम०ए० नं०-32/2020-21

गणी यादव एवं अन्य

बनाम्

झारखण्ड सरकार

-: आदेश :-

दिनांक 28/01/...

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता गणी यादव, पे0-भैरो यादव वो राजू ताँती, पे0-गंजू ताँती वो सिताराम शर्मा वो प्रकाश शर्मा, पे0-देवधर शर्मा वो शशिकांत महलदार वो धीरन महलदार वो डोमन महलदार, पे0-नरसिंह महलदार वो शालीग्राम शर्मा वो जनार्दन शर्मा, पे0-घोलटन शर्मा वो नरेश ताँती वो गणेश ताँती, पे0-सखी चरण ताँती वो गणेश यादव, पे0-भैरो यादव वो अनुरूद यादव, पे0-मंगल यादव वो नेटलाल शर्मा, पे0-कमलेश्वर शर्मा वो पुरन शर्मा, पे0-कुलदीप शर्मा वो मनोज महलदार वो नरेश महलदार, पे0-बट्टन महलदार वो सोहन उराँव वो महेश उराँव, पे0-सुन्दर उराँव वो नारायण उराँव, पे0-मंगन उराँव वो गुडडु उराँव, पे0-रमेश उराँव वो बिशनदेव महलदार, पे0-अढनु महलदार वो देवन महलदार वो भवन महलदार, पे0-बुधू महलदार, सभी सा0-डोय, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0-26/2018-19 के आदेश दिनांक-10.12.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0-26/2018-19 के आदेश दिनांक-10.12.2020 के द्वारा अपीलकर्त्तागण को मौजा-डोय नं0-321 जमाबंदी सं0-55 दाग नं0-170, 171, 179 रकवा 02-06-17 धुर जमीन से उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-डोय जमाबंदी सं0-55 दाग नं0-170, 171, 179 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बंशी गोढ़ी वो असना गोढ़ी के नाम से दर्ज है। एक ब्रहमदेव महलदार ने अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष आवेदन दिया। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने आर0ई0आर0 की प्रक्रिया चलाने के लिए समर्थन किया। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा आर0ई0आर0 की प्रक्रिया चलाया गया एवं अपीलकर्त्तागण को कारण-पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश दिया गया। अपीलकर्त्तागण के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने मामलें के सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलूओं को खारिज करते हुए अपीलकर्त्तागण को अवैध रूप से उच्छेद किया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण अपने–अपने हिस्से में 1935 ई0 से मकान बनाकर रह रहे हैं। जमीन की प्रकृति पूरी तरह से आवासीय में बदल गया है। चूँकि उक्त जमीन अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों को कुर्फा के माध्यम से प्राप्त हुआ है और अपीलकर्त्तागण 80 वर्ष पूर्व से उक्त जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। इस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने के कारण अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर हक कायम हो गया है इसलिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद करना उचित नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

मध्यागन्तुक पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–डोय जमाबंदी सं0–55 रकवा 02–06–17 धुर जमीन मध्यागन्तुक पक्षकार की पैतृक जमीन है, जो गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बंशी गोढ़ी वल्द गौरी गोढ़ी वो असना गोढ़ी वल्द लंगडू गोढ़ी के नाम से दर्ज है। मध्यागन्तुक पक्षकार गत जमाबंदी रैयत असना गोढ़ी के पोता है। मध्यागन्तुक निम्न न्यायालय में भी पक्षकार थे और उनके आवेदन के आधार पर ही अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण ने जान बूझकर मध्यागन्तुक को वर्तमान अपील वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण के द्वारा अवैध ढंग से उक्त जमीन पर मकान का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए मध्यागन्तुक पक्षकार ने कार्य रोकने के लिए अंचल अधिकारी, मेहरमा के समक्ष आवेदन दाखिल किया था। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त जमीन पर किये जा रहे निर्माण कार्य को रोके नहीं जाने के कारण अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने के लिए अनुशंसा किया गया था और अंचल अधिकारी, मेहरमा के अनुशंसा के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियमानुकूल है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में विद्वान सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त है। विद्वान सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–डोय नं0–321 जमाबंदी सं0–55 दाग नं0–170, 171, 179 रकवा 02–06–17 धुर जमीन वंशी गोढ़ी,

पे0–गोरी गोढ़ी वो असना गोढ़ी, पे0–लंगडू गोढ़ी के नाम से गत सर्वे खतियान में दर्ज है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा अवैध तरीके से मकान/झोपड़ी का निर्माण किया जा रहा था। अवैध ढंग से हो रहे मकान/झोपड़ी को हटाने के लिए डी0बी0 सं0–253/रा0 दिनांक–29.12.2017 द्वारा अपीलकर्त्ता को नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश के उपरांत अपीलकर्त्तागण के द्वारा कोई दावा या कारण–पृच्छा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–614/रा0 दिनांक–13.06.2018 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में उक्त जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने के लिए वाद दायर किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मोजा–डोय नं0–321 जमाबंदी सं0–55 दाग नं0–170, 171, 179 रकवा 02–06–17 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वंशी गोढ़ी वल्द गोरी गोढ़ी वो असना गोढ़ी वल्द लगडू गोढ़ी के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त जमीन कुर्फा से प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण के द्वारा न तो कुर्फा कागजात और न ही उक्त जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने का कोई साक्ष्यजनित कागजात दाखिल किया है। इस प्रकार अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर दखल अवैध प्रतीत होता है। अतएव निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–26/18–19 में दिनांक–10.12.2020 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी0बी0–16
30.05.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:30:55 +05:30
Location: 172.17.208.1